(63)

(फोटो कॉपी)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

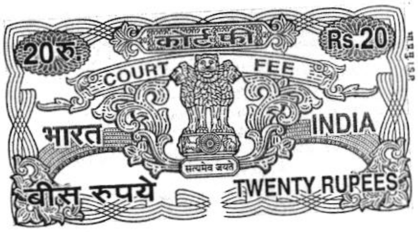

निगरानी-5050/2018/बैतूल/भू.रा.

1. राजू उम्र करीब 52 साल आ. शिवदयाल राठौर
2. हरिप्रसाद उम्र करीब 57 साल आ. शिवदयाल राठौर

दोनों निवासी ग्राम खंडारा तह. व जिला बैतूल .... आवेदकगण

विरूद्ध

दिलीप उम्र करीब 40 साल आ. गुरूवक्श राठौर
निवासी ग्राम खंडारा तह. व जिला बैतूल .... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 457/अपील/2017–18 राजू बगैरा विरूद्ध दिलीप में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 जो कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय बैतूल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 131/अपील/16–17 राजू बगैरा विरूद्ध दिलीप में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 से उत्पन्न हुआ, के विरूद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करते हैं :–

DD

R-5050/2018/कैमूल/R-ev.

13-12-2018

आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: प्रकरण आवेदक पक्ष को सूचना उपरांत अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

रीडर